>

Title: Need to set up a High Court bench in Meerut, Uttar Pradesh.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): महोदय, दिनांक सात मार्च, 2013 को तारांकित प्रश्न संख्या 142 का उत्तर देते हुए कानून एवं न्याय मंत्री महोदय ने बताया कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में दिनांक 31 मार्च, 2012 को कुल लम्बित वादों की संख्या 43 लाख 40 हजार 868 है। इन वादों में से लगभग एक-चौथाई अर्थात 10 लाख आठ हजार 537 वाद केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित हैं। सरकार आम आदमी को सस्ता, सुलभ एवं शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने की नीति की बार-बार घोषणा करती है, परन्तु इस घोषणा को साकार करने का कोई सार्थक प्रयास सरकार द्वारा नहीं होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में उच्च न्यायालय की बेंच की मांग बहुत पुरानी है, इसके लिए अनेक बार आंदोलन हो चुके हैं। इन दिनों भी आंदोलन चल रहा है।...(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: You are speaking regularly and that is not fair. When many Members are not able to get a chance, calling you regularly to speak is not fair. This is the last chance that I can give you. You must say only what you want.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता एवं वकील दिल्ली आकर अपनी आवाज उठा चुके हैं, परन्तु बेंच के निर्णय को केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार, उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्ताव, संस्तुतियों, स्वीकृतियों आदि के तकनीकी तर्कों के आधार पर टाल दिया जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों को न्याय पाने के लिए 500 से 800 किलोमीटर चलकर इलाहाबाद जाना पड़ता है। वर्षो तक वकील की फीस देने तथा में इलाहाबाद में ठहरने-खाने का इंतजाम करने में ही वादी के खेत और मकान तक बिक जाते हैं। न्याय से वंचित आम आदमी परेशान होता रहता है।

MR. CHAIRMAN: This is the problem. You are not in a position to state your point briefly. That is the problem.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल : मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इसमें सरकार स्वयं पहल करे और उच्च न्यायालय की पीठ वहां स्थापित करे।...(व्यवधान)